# AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

## प्रेसनोट थाना खंदौली जनपद आगरा। 03.06.2022

## एसओजी, सर्विलांस व थाना खंदौली पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन से 24 घण्टे के अन्दर लडकी की हत्या कर शव को फेंककर व साक्ष्य मिटाने हेतु जलाने वाले 02 अभियुक्तगणो को किया गया गिरफ्तार...

दिनांक 01.06.2022 को थाना खन्दौल पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त करती हुयी आगरा जलेसर रोड रामदास कोल्ड स्टोर के पास पहुंची तो देखा की सामने सडक किनारे एक युवती का जला हुआ शव पडा है। उक्त सूचना पर थाना खन्दौली पुलिस द्वारा उक्त अज्ञात महिला के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए शिनाख्त व पोर्टमार्टम हेतु शव को SNMC मोर्चरी में रखवाया गया तथा शिनाख्त हेतु सोशल/इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रयास किये गये। दिनांक 02.06.2022 को उक्त महिला के शव की शिनाख्त मृतका के पिता श्री बीरपाल सिंह पुत्र रामचरन निवासी शान्ती कुन्ज कालोनी नगला रामबल थाना एत्माद्दौला आगरा ने अपनी पुत्री शुखबू उम्र 20 वर्ष के रुप में की। दिनांक 02.06.2022 को थाना खंदौली पर वादी श्री वीरपाल सिंह उपरोक्त की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 182/22 धारा 302/201 भादवि बनाम आशीष तोमर पुत्र मुकेश तोमर निवासी नवनीत नगर पैट्रोल पंप के पास नाई की सराय थाना खन्दौली आगरा पंजीकृत किया गया।

जनपद में चोरी, लूट, अवैध असलाह/शराब निर्माण/बिक्री/महिला संबंधी अपराधों आदि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण (पश्चिमी) के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी एत्मादपुर आगरा के सफल पर्यवेक्षण में एसओजी, सर्विलांस व थाना प्रभारी खन्दौली को उक्त हत्या के अनावरण हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 02.06.2022 को थाना खन्दौली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त आशीष उपरोक्त को पोईया चौराहे से गिरफ्तार किया गया ।

### पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त आशीष तौमर से घटना के संबंध में कडाई से पूछताछ करने पर बताया। मैं मृतिका खुशबू से स्कूल से ही प्यार करता था। मैं शादी के लिये कहता तो शादी हेतु मना कर रही थी। दिनांक 30-05-2022 को मैने खुशबू को अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये । उसके बाद खुशबू ने कहा कि मैं इस बात के बारे में पुलिस में रिपोर्ट करूंगी और अपने घर वालो को बताऊंगी । मैने डर की वजह से खुशबू के गले में पडे दुपट्टे से का गला दबाकर की हत्या कर दी। मौका न मिलने की वजह से मृतिका का शव को घर के स्टोर में ही रख दिया था। जब मृतिका के शव से बदबू आने लगी। दिनांक 31-05-2022 की रात्रि को मैने मृतिका से शव के सम्बन्ध में अपने पिता मुकेश को बतायी। मृतिका के शव को ठिकाने लगाने के लिए मैने व मेरे पिताजी ने शव को कम्बल में लपेटकर रात्रि समय करीब 2 बजे अपनी मोटरसाइकिल UP80BU3871 बजाज डिस्कवर पर बीच में रखकर ले गये। मेरे पिताजी ने मोटरसाइकिल चलाई और मैं पीछे शव को पकडकर

बैठा और सुनशान जगह जलेसर आगरा रोड, रामदास कोल्ड के सामने सड़क किनारे पर शव को डालकर आग लगा दी और भाग गये।

पूछताछ के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि का अपराध भी पाये जाने के कारण उक्त अभियोग में धारा 376 भादवि की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्त के घर से मृतका उपरोक्त का त्मंसउम कंपनी का काला सफेद रंग का मोबाइल व जूते बरामद किये गये ।

तत्पश्चात मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त मुकेश उपरोक्त को भी त्वरित कार्यवाही करने हुए अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नं. UP 80 BU 3871 को बरामद किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

01. आशीष तोमर पुत्र मुकेश तोमर निवासी नवनीत नगर निकट पेट्रोल पम्प नाई की सराय थाना खन्दौली जनपद आगरा।

02. मुकेश पुत्र रामवीर निवासी नवनीत नगर निकट पेट्रोल पम्प नाई की सराय थाना खन्दौली आगरा मूल पता नगला धीमर थाना बागबाला जनपद एटा।

## बरामदगी का विवरण :–

01. मृतका का मोबाइल (Realme) व जूते।

02. मोटरसाइकिल नं. UP80BU3871 घटना में प्रयुक्त)।

## आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 182/22 धारा 302/201/376 भादवि थाना खन्दौली जनपद आगरा।

## गिरफ्तारी करने वाली टीमः–

01. निरीक्षक श्री कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद आगरा।

02. थानाध्यक्ष श्री आनन्दवीर सिंह थाना खन्दौली जनपद आगरा।

03. उ0नि0 श्री सचिन धामा प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद आगरा।

04. व0उ0नि0 कुलदीप मलिक थाना खन्दौली जनपद आगरा।

05. का0 सुमित कुमार, व का0 गोपाल थाना खन्दौली जनपद आगरा।

06. म0का0 नीतू थाना खन्दौली जनपद आगरा।

**मीडिया सेल जनपद आगरा।**